1861/1

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

'SUDA'

पत्रांक : 1361/05/76/एक/2015–16 दिनांक : 6 जुलाई 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–आगरा।

विषय : <u>वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।</u>

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
देना बैंक	072410027581	IFSC Code BKDNO720724	310.852

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	आगरा	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती नगर परसोती में श्री अशोक के घर से देवरी रोड तक, दिलीप वाली गली में, रविन्द्र के घर से दिलीप के घर तक, भीकम के घर से बनवारी के घर तक, मन्दिर से तारा के घर तक व कमलेश के घर से सुभाष के घर तक इण्टरलाकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	42.505
2	आगरा	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती नगला परसोती पार्ट–2 में श्री मान सिंह के घर से रतन सिंह के घर तक, रतन सिंह के घर से राहुल के घर तक, रामहित के घर से राके श के घर तक पप्पू के घर से रामसिंह के घर तक, सुनहरी के घर से गौतम के घर तक, गजेन्द्र के घर से सुरेश के घर तक, राहुल के घर से संजय के घर तक, गजेन्द्र के घर से सुरेश के घर तक, राहुल के घर से नेता जी के घर तक, होतम सिंह के घर से बहादुर के घर तक, राम गोपाल के घर से कप्तान के घर तक, राहुल के घर से कंचन के घर तक व कंचन के घर से कन्हैया के घर तक इण्टरलाकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	41.215
3	आगरा	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती नगला जस्सा में बनवारी के घर से विजय सिंह के घर तक, विजय सिंह के घर से पीपल के पेड तक, राज कुमार के घर से पालो तक, मान सिंह के घर से पिंकी के घर तक, खुशहाल के घर से सन्जू के घर तक व तिलक के घर से अचल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.563
4	आगरा	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती नगला जस्सा पार्ट–2 में लक्ष्मी नरायण के घर से बसन्त लाल के घर तक, बब्बू के घर से महेश के घर तक, बसन्त लाके घर सवे राजेश के घर तक, ब्रांच, सुनील के घर से नेमीचन्द्र के घर तक, बसन्त लाल के घर से बनवारी के घर तक व लक्ष्मी नरायण के घर से बसन्त	18.443

186/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				लाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
5	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती बाबू पुरम गुम्मट में फोरन सिंह के घर से निजाम के घर तक, भारत के घर से श्याम के घर तक, वाल्मीकि बस्ती में व गुड्डू वाली गली में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.456
6	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती श्याम बिहार में राजेन्द्र के घर से बन्टी के घर तक मुन्ना लाल के घर से वीर सिंह के घर तक, उमेश के घर से धमेन्द्र के घर तक व मुन्ना लाल वाली गली में इण्टरलाकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	23.946
7	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	वाल्मीकि बस्ती कोटली बगीची में भोला के घर से मनोज के घर तक व दिलीप के घर से बृजेश के घर तक इण्टरलाकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	3.492
8	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती शान्ती नगर नगला टेकचन्द्र में कैलाशी के घर से राम किशन पिप्पल के घर तक इण्टरलाकिंग फर्श व नाली निर्माण कार्य।	26.469
9	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती टैढ़ी बगिया जलेसर मार्ग पर जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कार्य।	15.507
10	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती दहतौरा रोड शान्ती नगर में शान्ती नगर चौराहे से अमर सिंह के मकान तक, अमर सिंह के मकान से मुरारनी के मकान तक, राजू वाली गली में, सूरजभान से करन सिंह के मकान तक, कमलेश कुमार वाली गली में, रूप सिंह के मकान से गिर्राज के मकान तक, गिर्राज के मकान से राज कृष्ण स्कूल तक, सेरेन्द्र व अमर सिंह वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.750
11	आगरा	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निगम आगरा	मलिन बस्ती नगला बुढ़ी में राजू के मकान से राम चरन के मकान तक, प्रेम सिंह के मकान से प्रीतम सिंह के मकान तक, तारा चन्द्र के मकान से महेन्द्र सिंह के मकान तक, गुड्डू वाली गली में, बनवारी के मकान से हरपाल के मकान तक, ताराचन्द्र के मकान से मुन्ना लाल के मकान तक, मुन्ना लाल के मकान से राजेन्द्र, सतेन्द्र के मकान से कमला देवी के मकान तक व ब्रांच में, विजय सिंह वाली गली में राजेन्द्र के घर से सुरेन्द्र के घर तक, रतन सिंह के घर से राम नगीना के घर तक, राम प्रकाश के घर से खाली प्लाट तक, खाली प्लाट से जगदीश के घर तक, गटललेराम वाली गली में, राजेन्द्र के घर से सुरेन्द्र टेलर से बनवारी के घर तक, विजय सिंह वाली गली में, छीतर मल सिंह के घर से शिव सिंह के घर तक व सुरन्दर सिंह के घर से मुकेश बघेल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	76.506
	योग				310.852

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

186/3

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015—16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी है, परन्तु कोषागार से 50 प्रतिशत की धनराशि आहरित कर जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि को रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे शेष धनराशि का कोषागार से आहरण कर जनपद को अवमुक्त किया जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक